HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 201/2026

In

S.B. Criminal Appeal No-1147/2025

Durgesh Alias Pappu Lal S/o. Kishore Daroga, Resident Of Village Tehla, Police Station Mandalgarh, District Bhilwara (Raj.) (At Present Confined In Central Jail, Kota (Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 487/2025

In

S.B. Criminal Appeal No-588/2025

Udalal S/o Mangilal, R/o Ladu P.s. Basoli, Dist. Bundi (Accused Confined At Central Jail Bundi)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री गोविन्द लाल चौधरी
For Respondent(s) : श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

22-04-2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी, राजस्थान** द्वारा सेशन प्रकरण

संख्या–**80/2020 सरकार बनाम दुर्गेश वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **17.02.2025** के विरूद्ध ये पृथक–पृथक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम **दस वर्ष के कठोर** कारावास से दण्डित किया गया है ।

दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एक ही निर्णय व दण्डादेश के विरूद्ध होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अभियुक्तगण लम्बे समय से अभिरक्षा में हैं । प्रकरण में आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । उनका यह भी निवेदन है कि छः कट्टों में डोडा पोस्त बरामद होना बताया गया है जिनको त्रिपाल पर एक साथ खाली करके एक सेम्पल मार्क–ए व कन्ट्रोल सेम्पल मार्क–बी लिया गया है जबकि प्रत्येक कट्टे में से अलग अलग सेम्पल लिया जाना चाहिए था। उनका यह भी निवेदन है कि साक्षीगण के कथनों में तात्विक विरोधाभास है, अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने योग्य है। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध फर्द जप्ती प्रदर्श पी–2, फर्द जप्ती अधिकारी के बयान पी.ड.4 व अन्य साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन किया । प्रकरण में छः कट्टों में बरामद डोडा पोस्त को एक साथ त्रिपाल पर खाली किया गया है जिसका वजन 83 किलोग्राम हुआ है जिसमें से एक सेम्पल मार्क–ए व कंट्रोल सेम्पल मार्क–बी लिया गया है । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थीगण की

अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना ये सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **22.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. दुर्गेश उर्फ पप्पुलाल पुत्र किशोर दरोगा व 2. उदालाल पुत्र मांगीलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/44-45